निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 1/2023
दायरा दिनांकः–29.12.223
निर्णय दिनांकः– 02.07.2024

उनवान

1. जुबेदा आयु 81 वर्ष पुत्री अहमद खॉ पत्नी वहिदुल्ला जाति मुसलमान निवासी जोहरीपुरा छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ राजस्थान

...............अपीलान्ट

बनाम

2. ग्राम पंचायत कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां।

.... रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील इन्तकाल 202
निर्णय दिनांकः– 02.07.2024

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोपाल – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा अपील इन्तकाल संख्या 202 अन्तर्गत आर.एल.आर.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी किता 4 कुल रकबा 25 बीघा माल रीछडा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान के खातेदारी श्री अहमद खां पुत्र छोटे खां कौम मुसलमान निवासी छबडा जिला बारां राजस्थान श्री अहमद खां जी का इन्तकाल हो जाने पर उक्त आराजीयात के बाबत पटवारी पटवार हल्का ने अहमद खां की मृत्यु के समय उनके निम्नलिखित वारिसान की प्रविष्टि की हामिद खॉ पुत्र अहमद खॉ, जाहिदा पुत्री अहमद खॉ, जुबेदा पुत्री अहमद खॉ (अपीलान्ट) लेकिन रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत कडैयाबन ने इन्तकाल नम्बर 202 वाके कडैयाबन अपीलान्ट व जाहिदा के नाम निर्णित न कर सिर्फ हामिद खॉ के नाम निर्णित कर दिया जिसकी जानकारी वर्तमान पटवारी पटवार हल्का बाहरी तहसील छबडा के पास केसीसी ऋण प्राप्त करने के क्रम नकल लेने गये तो पटवारी ने उक्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज न होना बताया और अधिक दरयाफ्त करने पर इन्तकाल नम्बर 202 वाके रीछडा में अपीलान्ट समान हकदार होने [illegible] भी उसके नाम इन्तकाल निर्णित नही किया जिसकी अप्रसन्नता से [illegible] अपील अन्य के साथ निम्न आधारो पर पेश है। इन्तकाल गैर विधि [illegible] एवं मनमाना है। अपीलान्ट अहमद खॉ की पुत्री होने से इन्तकाल नम्बर 202 में अहमद खॉ [illegible] पर अपने भाई [illegible] जाहिदा के साथ समान हकदार होने के बावजूद [illegible] इन्तकाल उसके हक [illegible] नही किया। ग्राम पंचायत कडैयाबन को इन्तकाल निर्णित करने का क्षेत्राधिकार नही है। उक्त इन्तकाल का ज्ञान दिनांक 01.11.2023 को हुआ जब केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वास्ते खाते खसरा गिरदावरी नक्शा की नकल प्राप्त करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पटवारी हल्का जो वर्तमान में बाहरी के पास गई तो उन्होने अपीलान्ट के खातेदार में भूमि न होना बताया इस पर ओर दरयाफ्त करने पर पता लगा कि इन्तकाल नम्बर 202 में बदनियति पूर्वक अपीलान्ट पुत्री होने के बावजुद भी नाम दर्ज नही किया। लिहाजा ज्ञान की तारीख से अपील अवधि मध्य पेश है साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पो0 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 05.03.2024 को की गई।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट एक तरफा सुनी गई। म्याद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि इन्तकाल का ज्ञान दिनांक 01.11.2023 को के.सी.सी के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वास्ते पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने के दौरान हुआ एवं जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु आवेदन मय शपथ पत्र पेश करने का कथन करतें हुए न्यायहित में देरी मान कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। इसके समर्थन में वकील अपीलान्ट ने प्रेमसिंह बनाम सुगन कंवर Rivision LR No. 7511 pali of 2018, 2022 (2) RRT 1137 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा में स्थित है जिसके खातेदार अहमद खॉ पुत्र छोटे खॉ जाति मुसलमान निवासी छबडा थे। अहमद खॉ की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी द्वारा उनके वारिसान हामिद खॉ जाहिदा पुत्री जुबेदा पुत्री का नाम नामान्तरण 202 पर अंकित कर दर्शाया गया परन्तु सरपंच कडैयाबन द्वारा नामा0 202 में जाहिद व अपीलान्ट के नाम निर्णित न कर मात्र एक लडका हामिद खॉ के नाम नामान्तरण खोल निर्णित कर दिया जबकि अपीलान्ट का समान हक अधिकार होने के बावजुद भी अपीलान्ट के नाम नामान्तरण दर्ज नही किया। अपीलान्ट अहमद खॉ की पुत्री होने से नामान्तरण संख्या 202 खारिज कराने की अधिकारी है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 202 खारिज फरमाया जावे। इसके समार्थन में वकील अपीलान्ट ने अध्याय Vii इन्होरिश का हानफी कानून के पेज नम्बर 78 की प्रति पेश की

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील [illegible] द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं सुसंगत विधि का अध्ययन [illegible] निर्णय से पूर्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक है धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र [illegible] कार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2037–42 खाता संख्या 94 में अहमद खॉ पुत्र छोटे खां कोम मुसलमान सा0 छबडा दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16–17 में नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 08.04.85 से मृतक अहमद खॉ के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पर हमीद खॉ के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2044–47 खाता संख्या 118 में हमीद खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी छबडा दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित होता है कि विवादित आराजी अहमद खां के नाम खातेदारी में दर्ज थी उनके मरने के (फोत) बाद नामान्तरण संख्या 202 से हमीद खॉ के नाम दर्ज की गई। नकल नामान्तरण संख्या 202 ग्राम रीछडा तहसील छबडा के अनुसार नामान्तरण के कालम नं0 9 में हामिद खॉ पिस0 अहमद खॉ जाहिदा बेगम जुबेदा बेगम पुत्री अहमद खॉ कोम मुसलमान सा0देह छबडा अंकित है। इन्तकाल नम्बर 202 के कॉलम संख्या 16 में यह अंकित है"खातेदार अहमद खां को मरे हुए करीब 6 माह हो चुका है। उनके स्थान पर लडका हामिद व पुत्री जाहिदा, जुबैदा मौजुद है। मृतक अहमद के स्थान पर हामिद जाहिदा, जुबैदा, के नाम दर्ज करने के बाद जॉच आदेश फरमावे" एवं ग्राम पंचायत द्वारा मृतक अहमद खां के स्थान पर उसके सुलवी लडका हमीद खां के नाम खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। इससे यह साबित होता हे कि उक्त नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धन्तों की पालना होना तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देना प्रमाणित नही होता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 202 को निरस्त करते हुए मृतक अहमद खां के विधिक वारिसान की जॉच कर सभी पक्षकारों की सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार छबडा को नामान्तरण आदेश रिमान्ड किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 08.04.85 वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा खारिज किया जाता है तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड कर निर्देशित कियाा जाता है कि मृतक अहमद खां के वारिसान की जॉच कर सभी वारिसानो की सुनवाई कर विधि सम्मत् नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.10 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested